कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

अपील संख्या 134/2022 राजकुमारी पंचोली राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2022 में अप्रार्थीगण को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिये निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए गए।

अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, थांवला, नागौर जिले में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलार्थी को रिशफल परिणाम में नागौर जिला आंवटित किया गया जबकि रिशफल परिणाम से पूर्व अपीलार्थी भीलवाड़ा जिले में कार्यरत थी, जहां कई पद रिक्त है। अतः अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रिक्त पदों के आधार पर अपना स्थानान्तरण नागौर जिले से भीलवाडा जिले के विद्यालयों में करने की मांग की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी सबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में रिक्त पदों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12811/2022

दिनांकः 26/03/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जयपुर
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. अपीलार्थी राजकुमारी पचोली, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, थांवला, नागौर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्तनिदेशक(प्रशिक्षण)